न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर
कैम्प कोर्ट बीजासनी

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 104 / 2021

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
हरीश कुमार पुत्र स्व. दौलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम बीजासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :–** 8/11/2021

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ग्राम बीजासनी तहसील बिलाड़ा का मूल निवासी है। वादी का घर का नाम हापूराम है जबकि वादी का आयकर विभाग का कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र इत्यादि में हरीश कुमार दर्ज है वादी हरीशकुमार उर्फ हापूराम दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है। वादी की ग्राम बीजासनी तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में खाता संख्या 94 की भूमि खसरा संख्या 3 / 1 रकबा 6.5529 हैक्टेयर, तथा खाता संख्या 73 के खसरा संख्या 3 रकबा 6.1889 हैक्टेयर, खाता संख्या 95 के खसरा संख्या 2 रकबा 0.1861 हैक्टेयर एवं इसी प्रकार ग्राम बड़ी कलॉ तहसीले बिलाड़ा की राजस्व सीमा में खाता संख्या 44 की भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 1.0113 हैक्टेयर, ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 282 की भूमि खसरा संख्या 784 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खाता संख्या 281 के खसरा संख्या 785 रकबा 5.9219 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त खसरान की भूमि में वादी सयुक्त खातेदार है, जिसमें वादी का नाम हापूराम पुत्र दौलाराम जाति कुम्हार लिखा हुआ है, जिसके स्थान पर वादी का आयकर विभाग का कार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र व सहखातेदारों की सहमति के अनुसार अपना नाम हरीश कुमार पुत्र दौलाराम दर्ज करवाना चाहता है। नाबालिग अवस्था में वादी को घर में प्यार से हापूराम के नाम से पुकारते थे इस कारण वादी के नाबालिग के समय खरीद करते समय ही वादी का घरेलु नाम हापूराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया। जिसका पता वादी को अब जमाबन्दी की नकले लेने पर पहली बार चला है। जिसके अभाव में वादी को सरकारी

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

योजनाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है तथा वादी संबंधित बैंक से लोन भी नही ले सकता है। जिससे वादी को परेशानिया हो रही है।

अन्त में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी की उपरोक्त ग्राम बीजासनी, बड़ीकलॉ व मालकोसनी में सयुक्त खातेदारी की भूमि में हापूराम के स्थान पर वादी के दस्तावेजात् के आधार पर हरीश कुमार पुत्र दौलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बीजासनी, तहसील बिलाड़ा दर्ज किया जाने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद संख्या 1 प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयं साबित करे। पद संख्या 2 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम बीजासनी तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 3/1, 3, 2 कृषि भूमि है, जिसकी खातेदारी हापूराम पुत्र दौलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम बड़ी कलॉ तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में भूमि खसरा संख्या 104 स्थित है जिसकी खातेदारी हापूराम पुत्र दौलाराम के नाम रेकर्ड में इन्द्राज है, इसी प्रकार ग्राम मालकोसनी की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 784, 785 की भूमि भी हापूराम पुत्र दौलाराम के नाम से खातेदारी में दर्ज है। पद संख्या 3 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि वादी के सरकारी साक्ष्य दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि हरीश कुमार पुत्र दौलाराम नाम से ही बने हुए है साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत बीजासनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी हरीश कुमार पुत्र दौलाराम नाम प्रमाणितकृत है। पद संख्या 4 प्रार्थी स्वयं साबित करें पद संख्या 5 कानूनी है।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के दौरान कैम्प कोर्ट बीजासनी में प्रस्तुत हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही। इस कारण वादी का साक्ष्य शपथ रेकर्ड पर लिया गया, वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 पैन कार्ड, प्रदर्श 2 आधारकार्ड, प्रदर्श 3 मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श 4 ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि सम्पूर्ण दस्तावेजात में वादी का नाम हरीश कुमार पुत्र दौलाराम दर्ज किया हुआ है, तथा विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3/1, 3, 2, 104, 784, 785 के राजस्व रेकर्ड में वादी की खातेदारी हापूराम पुत्र दौलाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

में अपना नाम हापूराम पुत्र दौलाराम के स्थान हरीश कुमार पुत्र दौलाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी ने राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने की सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बीजासनी तहसील बिलाडा के खाता संख्या 94 की भूमि खसरा संख्या 3/1 रकबा 6.5529 हैक्टेयर, तथा खाता संख्या 73 के खसरा संख्या 3 रकबा 6.1889 हैक्टेयर, खाता संख्या 95 के खसरा संख्या 2 रकबा 0.1861 हैक्टेयर एवं इसी प्रकार ग्राम बड़ी कलॉ तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 44 की भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 1.0113 हैक्टेयर, ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 282 की भूमि खसरा संख्या 784 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खाता संख्या 281 के खसरा संख्या 785 रकबा 5.9219 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातेदार हापूराम पुत्र दौलाराम के स्थान पर हरीश कुमार पुत्र दौलाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
कैम्प कोर्ट बीजासनी
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी | **बनाम** | **प्रतिवादी**

हरीश कुमार पुत्र स्व. दौलाराम
जाति कुम्हार (प्रजापति)
निवासी ग्राम बीजासनी,
तहसील बिलाड़ा, जिला
जोधपुर राज.

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा,
जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 104 / 2021

निर्णय दिनांक :– 8/11/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम बीजासनी तहसील बिलाडा के खाता संख्या 94 की भूमि खसरा संख्या 3/1 रकबा 6.5529 हैक्टेयर, तथा खाता संख्या 73 के खसरा संख्या 3 रकबा 6.1889 हैक्टेयर, खाता संख्या 95 के खसरा संख्या 2 रकबा 0.1861 हैक्टेयर एवं इसी प्रकार ग्राम बड़ी कलॉ तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 44 की भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 1.0113 हैक्टेयर, ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 282 की भूमि खसरा संख्या 784 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खाता संख्या 281 के खसरा संख्या 785 रकबा 5.9219 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातेदार हापूराम पुत्र दौलाराम के स्थान पर हरीश कुमार पुत्र दौलाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 8/11/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा